



मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग



आयुष

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020–21







मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

प्रभारी मंत्री
श्री रामकिशोर (नानो) कावरे

मंत्रालय

करलिन खोंगवार देशमुख
प्रमुख सचिव

पंकज शर्मा
उप सचिव

विभागाध्यक्ष

करलिन खोंगवार देशमुख
आयुक्त आयुष









अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	आयुष	1
2	विभाग के उद्देश्य	2
3	आयुष मिशन के उद्देश्य	3
4	विभागीय दायित्व	4
5	विभाग की उपलब्धियाँ	5–15
6	विभागीय संरचना	16–17
7	महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं विभाग के अधीनस्थ संचालित बोर्ड/परिषद्	18–23
8	संचालनालय एवं विभाग अंतर्गत स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद एवं एन.आर.एच.एम.	23
9	शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय एवं उनके संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रमवार कुल प्रवेश क्षमता स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता	24–31
10	विभाग में लागू अधिनियम एवं नियम, केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य स्तरीय योजनायें	32–34
11	विभागीय मानक सेवायें एवं विभागीय लंबित न्यायालयीन प्रकरण	35
12	लोक सेवा गारंटी, विभागीय जॉच प्रकरण विभागीय न्यायालयीन प्रकरण	36
13	बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी	37–39
14	एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत संविदा आयुष चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की जिलेवार जानकारी	40–41





मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग



आयुष

मध्यप्रदेश में आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य उन्नयन, रोगों की रोकथाम, चिकित्सा सेवा तथा आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से योग्य आयुष चिकित्सकों के निर्माण शिक्षण, प्रशिक्षण के साथ इन पद्धतियों के विकास एवं उन्नयन हेतु वर्ष 1977–78 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में भारतीय देशी चिकित्सा पद्धति की स्थापना की गई तथा वर्ष 1995 में इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में लाया गया, तत्पश्चात् 09 सितम्बर 2008 को पृथक आयुष विभाग का गठन किया गया। आयुष का पूर्ण नाम हैः— A- AYURVED, Y-YOG, U- UNANI, S- SIDHA, H- HOMOEOPATHY.



विभाग के उद्देश्य

- भारत सरकार आयुष मंत्रालय/केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (CCIM) तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (CCH) के मापदण्डों का पालन करते हुए आयुष पद्धतियों की उच्च गुणवत्तायुक्त चिकित्सीय शिक्षा के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग पद्धति के योग्य चिकित्सकों का निर्माण।
- अनुसंधानात्मक, शोधात्मक गतिविधियों को बढ़ावा।
- आयुष के पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
- आयुष महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के माध्यम से विशेषज्ञ स्तरीय चिकित्सा सेवायें प्रदान करना।
- चिकित्सालयों, आयुष विंग एवं औषधालयों के माध्यम से नागरिकों को आयुष चिकित्सा सेवायें व स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराना।
- विभागीय संस्थाओं के माध्यम से नागरिकों को आयुष चिकित्सीय सेवायें प्रदान करना।
- हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर्स के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु योग एवं नियमित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- औषधि निर्माण अनुज्ञा (लाइसेंस) प्रदान करना।
- प्रदेश में निर्मित व विक्रय की जाने वाली आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण। ड्रग टेस्टिंग लैब का संचालन।
- वनस्पति एवं वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन से संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- म0प्र0 आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद् द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन एवं अधिकारों का संरक्षण।

उद्देश्य

- नागरिकों को आयुष स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।
- उच्च स्तरीय योग्य चिकित्सक निर्माण करना।
- अनुसंधानात्मक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना।
- गुणवत्ता युक्त औषधियां की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विभागीय गतिविधियों को विधिक प्रावधानों, नियमों के तहत संचालित करना।





आयुष मिशन के उद्देश्य

भारत सरकार की योजना अंतर्गत आयुष मिशन की स्थापना की गई है इसका उद्देश्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना द्वारा सार्वभौमिक पहुँच सहित आयुष सेवाएं प्रदान करना है।

आयुष शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकार की ए.एस.यू एवं एच भेषजियों, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और ए.एस.यू एवं एच.प्रवर्तन तंत्र के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करना।

उत्तम कृषि पद्धतियों (जी.ए.पी) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना ताकि गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री की सतत आपूर्ति सहित गुणवत्तायुक्त मानकों, उत्तम कृषि/संग्रहण/भंडारण पद्धतियों के लिये प्रमाणन तंत्र का समर्थन करना।

औषधीय कृषि उत्पाद भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता और उद्यमियों के लिये अधोसंरचना का विकास।

आगामी वर्ष हेतु कार्ययोजना

- शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय में निर्मित होम्योपैथी फार्मसी भवन में औषधि निर्माण हेतु वांछित यंत्र शस्त्र एवं उपकरणों की व्यवस्था कर होम्योपैथिक फार्मसी को क्रियाशील करना।
- पंडित खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में पंचकर्म पद्धति की सुपर स्पेशिलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- पंडित खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में अनुसंधान प्रयोगशाला को क्रियाशील करना।
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर को क्रियाशील करना।





विभागीय दायित्व

1. आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
2. इन चिकित्सा पद्धतियों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देकर योग्य चिकित्सक तैयार करना।
3. प्रदेश में आयुष का शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास, उन्नयन एवं नियंत्रण।
4. शासकीय (स्वशासी) तथा निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही।
5. निजी क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय खोलने तथा मान्यता प्रदान करने के संबंध कार्यवाही करना।
6. शासकीय आयुर्वेद एवं यूनानी एवं निजी क्षेत्र की फार्मसी में गुणवत्तायुक्त औषधियों का निर्माण।
7. राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सा व्यवसाय हेतु पंजीयन।
8. प्रदेश में निर्मित एवं विक्रय की जाने वाली आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण।
9. शासकीय आयुष संस्थाओं से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे नागरिकों को निःशुल्क औषधि वितरण।
10. मध्यप्रदेश आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड तथा राज्य होम्योपैथी परिषद द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन एवं अधिकारों का संरक्षण
11. वनस्पति एवं वनौषधियों के संरक्षण, संवर्धन आदि हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना।
12. संभागीय आयुष अधिकारी, जिला आयुष अधिकारी, अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद/यूनानी फार्मसी, प्रधानाचार्य, शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी महाविद्यालयों के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों का प्रशासकीय नियंत्रण एवं सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन।
13. आयुष चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी) सेवाओं संबंधी सभी विषयों जिनका संचालनालय से संबंध हो, उदाहरणार्थ नियुक्ति, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति, पदोन्नतियां, सामान्य भविष्य निधियां, विभागीय जॉच तथा दण्ड आदि कार्यों का सम्पादन/क्रियान्वयन।





विभागीय उपलब्धियां

1. **कोरोना नियंत्रण** :— कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में उल्लेखनीय योगदान। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य साहस एवं निष्ठा पूर्वक सेवायें अर्पित की गई। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय पूर्वक कोरोना वायरस के नियंत्रण संबंधी कार्य किया गया।
2. आयुर्वेद एवं होम्योपैथी तथा यूनानी पद्धतियों की औषधियों का वितरण कर रोग प्रतिरोधक कार्यक्रम में सहयोग किया।
3. विभागीय संस्थाओं में स्थापित कोविड केयर सेन्टर्स में सेवायें प्रदान की गई।
4. कोरोना पॉजिटिव केसेस में आयुर्वेद आरोग्य कषायम का अनुसंधानात्मक अध्ययन किया गया। जिसके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुये।
5. चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव केसेस पर अनुसंधान किया गया था।
6. **मलेरिया रोग नियंत्रण** :— मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 12.66 लाख जनसंख्या को मलेरिया रोग प्रतिरोधक औषधि “मलेरिया ऑफ 200” का दो चरणों में सेवन कराया गया।
7. **राष्ट्रीय आयुष मिशन** के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में भारत सरकार से रु. 89.36 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई।
8. **चिकित्सा शिविर** :— वर्ष 2020–21 में प्रदेश के चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में 12925 चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर लगभग 9.55 लाख रोगियों को आयुष चिकित्सा का लाभ प्रदान किया गया।
9. वर्ष 2020–21 में आयुष महाविद्यालयों/चिकित्सालयों/औषधालयों एवं शिविरों के माध्यम से अंतरंग सहित लगभग 5,01,50,081 रोगियों को आयुष चिकित्सा (कोरोना कोविड–19 में वितरित औषधियों सहित) का लाभ प्रदान किया गया।
10. **औषधि उत्पादन** :— वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर द्वारा रूपये 200 लाख तथा शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल में रूपये 91.6 लाख की औषधियों का उत्पादन किया गया है।
11. **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** :— शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में 10, रीवा में 01, उज्जैन में 03, एवं ग्वालियर में 01 विषय एवं शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय में 07 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये प्रवेशानुमति प्राप्त।
12. **नवीन भवन का कार्य**—
 1. 10 जिला आयुष कार्यालयों के नवीन भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
 2. 40 आयुष औषधालयों के नवीन भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया।



3. प्रदेश के शासकीय आयुष महाविद्यालयों के सुदृढीकरण के लिये राशि रु. 2320.00 लाख के निर्माण कार्य स्वीकृत ।
 4. भोपाल, नरसिंहपुर, इंदौर एवं मण्डलेश्वर में प्रदेश में चार 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
 13. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर के बालिका छात्रावास का निर्माण पूर्ण किया गया ।
 14. पंडित खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल में बालिका छात्रावास का निर्माण पूर्ण कर संचालन प्रारंभ ।
 15. शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, भोपाल में 180 बिस्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
 16. शासकीय स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय, भोपाल में वृद्धावस्था जन्य रोगों (जराव्याधि) के उपचार संबंधी कार्य किया जा रहा है, जिसमें 6 तरह की वृद्ध वास्था जन्य बीमारियों— डिमेन्सिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आमवात, संधिवात, यूरोलॉजी, C.O.P.D (क्रोनिक आक्स्ट्रेकिटव पल्मोनरी डिसीज) में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है ।
 17. स्वास्थ्य से समृद्धता की ओर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत की जा रही गतिविधियाँ :—
- 17.1 ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय आयुष स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना
- 17.1.1 प्रदेश में 362 आयुष हैल्थ एंड आयुष स्वास्थ्य एवं वैलनेस सेंटर (HWCS) की स्थापना कर संचालन किया जावेगा ।



दिनांक 01.02.2021 को मा. मंत्री जी द्वारा आयुष एच.डब्ल्यू.सी. का शुभारंभ किया गया ।





17.2 आयुष चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण व उन्नयन।

17.2.1. भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना।

17.2.2 आयुर्वेद और यूनानी फार्मसी का उन्नयन।

17.3 आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्रों के बीच संचार और सहयोग के लिये साझा मंच का निर्माण।

17.4 असंचारी और क्रोनिक बीमारियों के लिए आयुष दवाओं पर अनुसंधान और विकास।

17.4.1 संचारी रोगों के लिये आयुष चिकित्सा पद्धतियों का अनुसंधान और विकास

17.4.2 आधुनिक जैव चिकित्सा अनुसंधान के साथ एक ही छत के नीचे आयुष क्षेत्र में विश्व स्तर के अनुसंधान का संचालन करना।

18. निवारक देखभाल (प्रिवेन्टिव केयर) के लिये आयुष दवाओं पर जोर

18.1 आयुष औषधालयों, चिकित्सालयों में औषधि उद्यान की स्थापना।

18.2 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र एवं आयुष ग्रामों में योग चिकित्सा।

18.3 असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम।



19. विशिष्ट रोग / निदान / चिकित्सा हेतु शोध केन्द्र आयुष महाविद्यालयों में स्थापित किया जाना :—

आयुष विभाग द्वारा शासकीय आयुष महाविद्यालयों को विशिष्ट रोग / निदान / चिकित्सा हेतु उत्कृष्ट आयुष महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना हैः—

क्र	महाविद्यालय का नाम	विशिष्ट रोग / निदान / चिकित्सा
1	पं.खुशीलाल शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	न्यूरोमस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर (Neuromusculo Skeletal disorder)
2	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा	लीच थेरेपी (Leech Therapy)
3	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	क्षार सूत्र
4	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	आर्थराइटिस (Arthritis)
5	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर	आस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis)
6	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	इनफर्टिलिटी (Infertility)
7	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	त्वचा रोग (Skin Disorder)
8	शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	जीरियाटिक (Geriatric)
9	शासकीय यूनानी महाविद्यालय भोपाल	यूनानी पद्धति के द्वारा आस्टियोआर्थराइटिस की चिकित्सा


20. कोरोना (कोविड-19) आपदा के समय आयुष विभाग द्वारा भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत औषधियों का वितरण घर-घर जाकर किया गया।





20.1 माननीय मुख्यमंत्री जी की जीवन अमृत योजना जो 24.04.2020 को प्रारंभ की गयी जिसमें औषधियों का वितरण किया गया। औषधि वितरण का समस्त रिकार्ड सार्थक एप के माध्यम से संधारित किया गया। लाभान्वितों की जानकारी :—

क्र.	लाभार्थी	लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वित परिवार
1	आयुर्वेद	21642913	7214304
2	होम्योपैथी	18793576	9396788
3	यूनानी	1913190	478298
	कुल योग —	42349679	17089390



20.2 अनुसंधान :—

कोविड पॉजिटिव तथा कोरेन्टाईन मरीजों का उपचार तथा अनुसंधान अध्ययन एथिकल समिति की स्वीकृति उपरांत रोगियों के लिखित सहमति के साथ भारत सरकार एवं CCRAS के दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर भारत सरकार तथा विभाग के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित औषधियों का प्रयोग कोविड-19 चिकित्सा के प्रोटोकॉल को दृष्टिगत करते हुये कराया गया।



20.2.1 आयुर्वेद :-

विभाग के आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित औषधियों से निर्मित आरोग्य कषायम – 20 (काढ़ा) प्रदेश के 31 जिलों के 151 कोविड केयर सेन्टर एवं कोरेन्टाईन सेन्टर के कुल 43,325 रोगियों को दिया गया।

20.2.2 होम्योपैथी :-

CCC होम्योपैथिक केन्द्र पर भारत सरकार केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में लक्षण रहित कोविड पॉजिटिव रोगियों को स्टैन्डर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकाल के साथ चिन्हित होम्योपैथिक औषधियों के तुलनात्मक प्रभाव के अध्ययन का अनुसंधान किया गया।





21. आयुष ग्राम :—

भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत म.प्र. शासन के आयुष विभाग द्वारा चयनित 75 ग्रामों में आयुष ग्राम की स्थापना की गई। इस योजना का उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण जन के स्वास्थ्य को उत्तम बनाये रखना है। इस योजना के निम्न कार्य किये जा रहे हैं :—

21.1 स्वास्थ्य स्तर का रिकार्ड :—

- (i) प्रत्येक आयुष ग्राम की समस्त जनसंख्या का स्वास्थ्य पत्रक तैयार कराया गया है। आयुष चिकित्सकों के दल द्वारा इन ग्रामों के 37 हजार परिवारों के 1 लाख 60 हजार व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सर्वे के रिकार्ड का डाटाबेस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया।



Data Collection and Management System

Dashboard (डैशबोर्ड)

Till Date: 06-Mar-2021

AYUSH GRAM 30	HEALTH CARD 33385	MALARIA (FAMILY MEMBERS) 91	MALNUTRITION (FAMILY MEMBERS) 672
------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Member Health Status

Registered AYUSH Gram : 28




Total Family Members : 158517

Total Affected : 27857

Chart showing Member Health Status:

- Healthy - 82.43 %
- Affected - 17.57 %







(ii) इसके विश्लेषण के आधार पर ग्राम की स्वास्थ्य स्तर की रिपोर्ट तैयार कर ग्राम की स्वास्थ्य संबंधी भविष्य की कार्य योजना (स्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण) निर्धारित की जा रही है। प्रत्येक आयुष ग्राम को कुपोषण, रक्तचाप एवं मलेरिया मुक्त बनाना भी प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही गर्भवती महिला एवं शिशु देखभाल संबंधी जागरूकता प्रदान की जा रही है।

21.2 स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।

कुपोषण अभियान, एनिमिया, परिवार कल्याण एवं टीकाकरण आदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सहयोग प्रदान किया गया।

21.3 योग एवं जागरूकता शिविर का आयोजन :—

205 योग शिविरों में लगभग 40 हजार ग्रामीणजनों ने भाग लिया एवं आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वर्णित आहार आदतों तथा जीवन शैलियों, एवं मौसमी बीमारियों और उनकी रोकथाम आदि के प्रति जागरूक किया गया।





21.4 238 चिकित्सा शिविरों द्वारा लगभग 43 हजार ग्रामीण लाभान्वित हुये।



21.5 आयुष ग्रामों एवं औषधालयों में जन सामान्य के लिये उपयोगी औषधीय पौधों ऑवला, गिलोय, सहजन आदि रोपण कर औषधीय हर्बल गार्डन विकसित किये जा रहे हैं।

औषधि उद्यानः—



आयुष का होगा प्रचार प्रसार , लोगों को भिलेगा लाभ



22. पुस्तक प्रकाशनः— स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आयुष निर्देश पुस्तिका







विभागीय संरचना

प्रशासनिक

आयुष विभाग

संचालनालय आयुष

संभागीय आयुष कार्यालय

जिला आयुष कार्यालय

म0प्र0 आयुर्वेद यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड

म0प्र0 राज्य होम्योपैथी परिषद

शैक्षणिक एवं शोध

आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

होम्योपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

शोधात्मक गतिविधियां

चिकित्सा सेवाएं

महाविद्यालय चिकित्सालय

(विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं)

जिला चिकित्सालय / 30 शैय्या युक्त चिकित्सालय

आयुष विंग

आयुष औषधालय

एकीकृत चिकित्सा केन्द्र (पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 के साथ)

औषधि निर्माण

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर

शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल





संचालनालय, आयुष जो आयुष विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, की संरचना निम्नानुसार है :—

संचालनालय सेटअप

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त / संचालक	01
2.	संयुक्त संचालक, आयुर्वेद	01
3.	संयुक्त संचालक, होम्योपैथी	01
4.	अनुज्ञापन प्राधिकारी	01
5.	उपसंचालक, आयुर्वेद	01
6.	उपसंचालक, होम्योपैथी	01
7.	उपसंचालक, यूनानी	01
8.	औषधि निरीक्षक आयुर्वेद सिद्धा, यूनानी	02
9.	उपसंचालक, अतकनीकी	01
10.	औषधालय अधीक्षक	01
11.	सहायक संचालक, आयुर्वेद	01
12.	वित्त अधिकारी	01
13.	प्रशासकीय अधिकारी	01
14.	सांख्यकीय अधिकारी	01
15.	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	01
16.	अधीक्षक	03
17.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01
18.	मुख्य लेखापाल	01
19.	लेखापाल	01
20.	शीघ्रलेखक	02
21.	स्टेनो टाइपिस्ट	01
22.	मुख्य अंकेक्षक	01
23.	अंकेक्षक	01
24.	सहायक ग्रेड – 1	08
25.	सहायक ग्रेड – 2	11
26.	सहायक ग्रेड – 3	18
27.	झायवर	03
28.	भूत्य / चौकीदार	16
	योग	83



महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (प्रशासकीय)

1.	संभागीय आयुष कार्यालय –	07
2.	जिला आयुष कार्यालय –	51
3.	शासकीय आयुर्वेद फार्मसी –	01
4.	शासकीय यूनानी फार्मसी –	01
5.	पंडित उद्धवदास मेहता स्मृति आयुर्वेद / यूनानी चिकित्सालय भोपाल	01
6.	आयुष चिकित्सालय (आयु.-28 होम्यो.-03, यूनानी-01) –	32
7.	शासकीय आयुष औषधालयों की संख्या :– (आयुर्वेद-1496, यूनानी-64, होम्योपैथी-213)	1773
8.	शासकीय आयुष महाविद्यालयीन चिकित्सालय में रोगी शैक्षयाएँ –	820

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (शिक्षा)

क्र.	संस्था	संख्या
1.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय –	07
2.	शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय –	01
3.	शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय –	01
4.	निजी आयुर्वेद महाविद्यालय –	13
5.	निजी होम्योपैथी महाविद्यालय –	24
6.	निजी यूनानी महाविद्यालय –	03
7.	निजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय –	06
8.	शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई) प्रशिक्षण केन्द्र –	02

1. महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट संख्या (प्रवेश हेतु):–

1.1	आयुर्वेद शासकीय अशासकीय	500 990
1.2	होम्योपैथी शासकीय अशासकीय	125 2025
1.3	यूनानी शासकीय अशासकीय	75 160
1.4	नैचुरोपैथी शासकीय अशासकीय	00 380





2.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु सीट संख्या –	475
3.	शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु सीट संख्या –	150
4.	शासकीय यूनानी महाविद्यालय में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु सीट संख्या –	50

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपालः—

स्थापना	—	24 अप्रैल, 1971
बोर्ड के कार्य	—	आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण।

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या	50,394
(21.12.2020 तक) —	14,859
संस्थागत आयुर्वेद —	15,369
गैर संस्थागत आयुर्वेद —	32,731
संस्थागत यूनानी —	2,154
गैर संस्थागत यूनानी —	84
प्राकृतिक चिकित्सा —	56
अनुभव के आधार पर सूचीबद्ध चिकित्सक	5971

मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद भोपाल :-

स्थापना वर्ष	—	मार्च, 1976
परिषद के कार्य	—	होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण।
पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या	—	20,381





(1) आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय – 09

क्र.	महाविद्यालय का नाम
	(1)
1.	पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय संस्थान एवं चिकित्सालय, भोपाल
2.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ग्वालियर
3.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जबलपुर
4.	शासकीय (स्वशासी) अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, इन्दौर
5.	शासकीय (स्वशासी) धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उज्जैन
6.	पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बुरहानपुर
7.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रीवा
8.	शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल
9.	हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल

(2) संभागीय आयुष कार्यालय – 07

कार्यालय का नाम	संख्या
(1)	(2)
भोपाल, ग्वालियर, रीवा, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर	07

(3) शासकीय महिला आयुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र – 02

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	संख्या
(1)	(2)
शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई) प्रशिक्षण केन्द्र –	02
1. राऊ (जिला इन्दौर), 2. कोलारस (जिला शिवपुरी)	





(4) जिला आयुष कार्यालय – 51

कार्यालय का नाम	संख्या
भोपाल, रायसेन, बैतूल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, गुना, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, आगर—मालवा	51

(5) आयुष चिकित्सालय – 23

(अ) जिला स्तरीय चिकित्सालय – 18

चिकित्सालय का नाम	संख्या
जिला आयुर्वेद चिकित्सालय – भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, शिवपुरी, मुरैना, मण्डला, खरगौन, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, सागर, दमोह, छतरपुर, सीधी, शहडोल, सतना, राऊ (जिला इन्दौर)	18

(ब) तहसील एवं ग्राम स्तरीय चिकित्सालय – 05

चिकित्सालय का नाम	संख्या
आयुर्वेद चिकित्सालय – तामिया (छिंदवाड़ा), बैहर (बालाघाट), लखनादौन (सिवनी)	03
होम्योपैथी चिकित्सालय – नवेगांव सेनेटोरियम (छिंदवाड़ा), पी. थमपुर (धार)	02

(6) शासकीय आयुष फार्मसी – 02

फार्मसी का नाम	संख्या
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर	01
शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल	01



(7) एलोपैथिक चिकित्सालय में आयुष विंग – 36

क्र.	आयुष विंग (आयुर्वेद)		
1	जिला एलोपैथी चिकित्सालय – पन्ना, देवास, राजगढ़, मण्डला, नीमच, बालाघाट, ठीकमगढ़, शाजापुर, शिवपुरी, सीहोर, रतलाम, इंदौर, होशंगाबाद, दमोह, श्योपुर, सीधी, सिवनी, मंदसौर, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, झाबुआ, रायसेन, दतिया, बड़वानी, डिण्डोरी, हरदा, गुना, उज्जैन, विदिशा, खजुराहो (छतरपुर) में कार्यरत आयुष विंग (आयुर्वेद)		
आयुष विंग (होम्योपैथी)			
2	जयप्रकाश चिकित्सालय	—	भोपाल
	शाकिर अली खान चिकित्सालय	—	भोपाल
	कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय	—	भोपाल
	इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय	—	भोपाल
	जिला एलोपैथी चिकित्सालय	—	रायसेन





(8) प्रदेश में संचालित आयुष औषधालय – 1773

पैथी	शहरी	ग्रामीण	योग
आयुर्वेद	61	1435	1496
यूनानी	27	37	64
होम्योपैथी	64	149	213
योग—	152	1621	1773

(9) औषधि नियंत्रक कार्यालय, भोपाल, म.प्र. – 0

(10) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ग्वालियर, म.प्र. – 01



संचालनालय एवं विभाग अंतर्गत स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

प्रथम श्रेणी	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त पद
प्रथम	411	207	205
द्वितीय	2356	1333	1031
तृतीय	3887	1773	1430
चतुर्थ	4294	3000	1048
योग	10948	6313	3714

नोट :— इन पदों के अतिरिक्त कार्यालय, चिकित्सालय एवं औषधालयों में 1830 पार्ट टाइम स्वीपर के पद स्वीकृत हैं।





एन.आर.एच.एम. अंतर्गत पदस्थ चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट की जानकारी

क्रमांक	पद नाम	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी
1	चिकित्सक	171	189	35
2	फार्मासिस्ट	69	61	1
	योग	240	250	36

शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय एवं उनके संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रमवार कुल प्रवेश क्षमता स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता

11. आयुष महाविद्यालयों की जानकारी में प्रवेश क्षमता शैख्याएँ :—

11.1 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी महाविद्यालय

क्र.	नाम महाविद्यालय	सीट संख्या	स्वीकृत शैख्याएँ
1.	पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	75	150
2.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ग्वालियर	75	100
3.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जबलपुर	75	100
4.	शासकीय (स्वशासी) अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, इन्दौर	75	60
5.	शासकीय (स्वशासी) धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उज्जैन	75	100
6.	पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बुरहानपुर	50	100
7.	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रीवा	75	100
8.	शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	125	50
9.	हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल	75	100
	योग —	700	860





11.2 निजी आयुर्वेद महाविद्यालय : -

क्र.	नाम महाविद्यालय	सीट संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
01	राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	30	—
02	वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	30	—
03	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	54	5
04	पं. शिवशक्ति लाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, रतलाम (मानो न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	100	18
05	शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर	60	25
06	मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन, मंदसौर	60	—
07	मानसरोवर आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	30	—
08	श्री सांई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एण्ड मेडिसिन मानसरोवर केम्पस, कोलार रोड भोपाल	30	—
09	सैम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल ग्राम—अगरिया चौपड़ा भोपाल रोड रायसेन म.प्र.	30	—
10	एल.एन. आयुर्वेद मेडिकल कालेज जे.के. टाउन कोलार रोड भोपाल	100	—
11	पाराशर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल जिरनियां नरसिंहगढ़ रोड परवालिया भोपाल। (मानो न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	60	—
12	विजय श्री आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, जे.डी.ए. स्कीम नं.-41/65, ग्राम बसहा (रिंगवा), कच्छपुरा रेलवे स्टेशन जबलपुर। (मानो न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	60	—
13	ओम आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल बैतूल। (मानो न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	40	—
योग		684	48





11.3 निजी होम्योपैथी महाविद्यालय –

क्र.	नाम महाविद्यालय	सीट संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
1	एल.बी.एस.होम्योपैथी महाविद्यालय चिकित्सालय, भोपाल (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	60	—
2	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100	—
3	हैनीमेन होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100	—
4	आर.के.डी.एफ. होम्योपैथी महाविद्यालय, मंडीदीप, भोपाल।	30	—
5	शिवांग होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल (मान0 न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	100	—
6	रानी दुल्लैया स्मृति होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल	60	—
7	स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथी महाविद्यालय, छतरपुर (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	50	—
8	इंदिरा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, धार (मान0 न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	100	—
9	श्रीमती एस.एम.देव होम्योपैथी महाविद्यालय, बालाघाट। (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	50	—
10	गुजराती समाज होम्योपैथी महाविद्यालय, इंदौर	100	—
11	डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी महाविद्यालय, रतलाम	100	06
12	महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, जबलपुर	100	—
13	सेंधवा होम्योपैथी महाविद्यालय, सेंधवा, बड़वानी (मान0 न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	100	—
14	अनुश्री होम्योपैथी महाविद्यालय, जबलपुर	100	—
15	सोफिया होम्योपैथी महाविद्यालय, ग्वालियर। (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	100	—
16	सागर होम्योपैथी महाविद्यालय, सागर। (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	50	—





क्र.	नाम महाविद्यालय	सीट संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
17	वसुधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय, ग्वालियर (मानो न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	100	—
18	अरिहंत होम्योपैथी मेडिकल कालेज, सेंधवा। (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	50	—
19	के.एस. होम्योपैथी महाविद्यालय ग्वालियर	60	—
20	रामकृष्ण कालेज ऑफ होम्योपैथी एण्ड मेडिकल साइंसेस भोपाल।	100	—
21	स्कूल ऑफ होम्योपैथी श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइंस सीहोर। (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	60	—
22	शीतला सहाय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड केयर हॉस्पिटल ग्वालियर। (आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता नहीं।)	60	—
23	आर. एन. कपूर मेमोरियल होम्यो. हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, इंदौर। (मानो न्यायालय से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त।)	100	—
	योग	1830	6

11.4 निजी यूनानी महाविद्यालय –

क्र.	नाम महाविद्यालय	सीट संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	अलफारुख यूनानी महाविद्यालय, इंदौर।	50	—
2.	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी महाविद्यालय, देवास।	60	—
3.	सैफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय, बुरहानपुर।	45	—
	योग	155	—



11.5 निजी प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय –

क्र.	नाम महाविद्यालय	सीट संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़, भोपाल।	70	09
2.	प्रिया पीताम्बरा प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया। (शासन से सत्र 2020–21 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं)	50	—
3.	एस.एम.ए. आयुष मेडिकल कालेज ऑफ नेच्युरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भोपाल।	33	—
4.	पाराशर साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं यौगिक साइंस कॉलेज भोपाल। (शासन से सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मान्यता प्राप्त नहीं)	100	—
5.	नवाम्बे कॉलेज ऑफ नैचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस, पुरवा बरेला जबलपुर (शासन से सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मान्यता प्राप्त नहीं)	100	—
6	पी.बी.जी.एम. मेडिकल कॉलेज ऑफ नैचरोपैथी एंड यौगिक साइंस एंड हॉस्पिटल, भोपाल।	33	—
	योग	386	09

12. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम—

12.1 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद / होम्योपैथी महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम —

क्र.	महाविद्यालय का नाम	विषय	सीट संख्या
1	शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा	01 विषय में	06
2	पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल	10 विषय में	64
3	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन	03 विषय में	11
4.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर	01 विषय में	05
5.	शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	07 विषय में	69





आयुष महाविद्यालय गतिविधियाँ:-





12.2 आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र –

क्र.	शासकीय
1.	शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, राऊ, इन्दौर
2.	शासकीय महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, कोलारस, शिवपुरी

13. शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालयों द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की जानकारी –

13.1 शासकीय पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	सीट्स संख्या
1	डी. फार्मा – आयुर्वेद डिप्लोमा	दो वर्ष	50
2	पंचकर्म टेक्नीशियन प्रमाण पत्र	एक वर्ष	50

13.2 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा –

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	सीट्स संख्या
1	डी. फार्मा – आयुर्वेद डिप्लोमा	दो वर्ष	50

13.3 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर –

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	सीट्स संख्या
1	डी. फार्मा	दो वर्ष	50

13.4 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय इन्दौर –

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	सीट्स संख्या
1	डी. फार्मा – आयुर्वेद डिप्लोमा	दो वर्ष	50
2	पंचकर्म टेक्नीशियन प्रमाण पत्र	एक वर्ष	50





13.5 शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल –

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	सीट्स संख्या
1	डिप्लोमा इन फार्मसी	दो वर्ष	50
2	योगा	दो वर्ष	50
3	नेचुरोपैथी	दो वर्ष	50

13.6 शासकीय यूनानी महाविद्यालय भोपाल –

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	सीट्स संख्या
1	डिप्लोमा इन फार्मसी (यूनानी)	दो वर्ष	50

14. एकीकृतः—

सुदूर ग्रामीण अंचल में आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 217 आयुर्वेद औषधालयों को एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहस्थापित किया जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

15. औषधि नियंत्रक कार्यालय :-

आयुष विभाग अंतर्गत औषधि नियंत्रक कार्यालय (आयुष) संचालित है। जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं 51 जिला आयुष अधिकारी पदेन औषधि निरीक्षक कार्यरत् हैं।

यह कार्यालय ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स रॉल्स 1945 तथा ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज (आज्जेक्शनेबल एडर्वटाइजमेंट) एक्ट 1950 के क्रियान्वयन का कार्य करता है। प्रदेश में निर्मित तथा विक्रय होने वाली आयुष औषधियों की गुणवत्ता का नियंत्रण करना।

मध्यप्रदेश में आयुष औषधि निर्माण इकाइयाँ

- आयुर्वेद — 795
- होम्योपैथी — 20
- यूनानी — 08





विभाग में लागू अधिनियम एवं नियम

1. मध्य प्रदेश आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1971
2. मध्य प्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 संशोधित नियम—2006
3. म0प्र0 आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973
4. मध्य प्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1976
5. म0प्र0 स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्वशासकीय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भर्ती नियम, 2010
6. म0प्र0 होम्योपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 2000
7. स्व. पंडित उद्धवदास मेहता के नाम पर आयुर्वेद के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट योगदान हेतु संस्थापित पुरस्कार नियम 2013
8. म0प्र0 शासन “आयुष विभाग” राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2013
9. म0प्र0 शासन “आयुष विभाग” अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2013
10. म0प्र0 प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी एण्ड योगा प्रवेश नियम, 2018
11. एन.आर.एच.एम संविदा सेवा भर्ती नियम 2018

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

2.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)

भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनांतर्गत पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आयुष चिकित्सा पद्धति को मुख्यधारा में लाने हेतु सम्मिलित किया गया। म.प्र. में इस योजनांतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पतालों में संविदा पर 526 आयुष चिकित्सा अधिकारियों एवं फार्मासिस्ट कार्यरत हैं।

2.2 राष्ट्रीय आयुष मिशन

आयुष विभाग अंतर्गत भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य आयुष मिशन सोसायटी का गठन किया गया है। सोसाइटी के कार्यकारी निकाय एवं शासी निकाय राष्ट्रीय आयुष मिशन का प्रस्ताव भारत सरकार की योजना अनुसार तैयार कर SAAP प्राप्त भारत सरकार को प्रेषित किया जाकर स्वीकृति अनुसार क्रियान्वयन कराया जाता है।





राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत योजनाएँ:—

1. सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आयुष औषधियों / सहायता
2. आयुष चिकित्सालयों का उन्नयन एवं आवश्यक औषधियों के लिए सहायता
3. आयुष औषधालयों का उन्नयन एवं आवश्यक औषधियों के लिये सहायता
4. 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष एवं स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों का प्रचार—प्रसार
6. बी.सी.सी. / आई.ई.सी.
7. आयुष ग्राम
8. योग वैलनेस का प्रारंभ करना।
9. आयुष शैक्षणिक संस्थाओं में विशिष्ट सुविधाओं का विस्तार करना।
10. आयुष औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण।
11. औषधियों की गुणवत्ता हेतु आयुष फार्मसियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाना।
12. आयुष हैल्थ एंड वैलनेस केन्द्रों की स्थापना, योग एवं पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध कराना।

2.3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस :—

मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी बनाया जाकर आयोजन किया जाता है। भोपाल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा जिला मुख्यालयों पर भी सभी विभागों के सहयोग से आयोजन किये जाते हैं।

आयुष विभाग द्वारा प्रदेश में दिनांक 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना कोविड-19 आपदा के कारण आम जन को घर से ही योग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया गया।

2.4 महिला नीति :—

- प्रदेश में राज्य शासन के नियमानुसार महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीट्स निर्धारित हैं।
- निजी क्षेत्र के संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय भोपाल में संचालित बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में महिलाओं के लिये शत प्रतिशत सीट्स निर्धारित हैं।
- महिला अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम हेतु विभागीय कार्यालयों में समितियां गठित हैं।



राज्य स्तरीय योजनाएं “आयुष रोग नियंत्रण कार्यक्रम”

असंचारी रोग

1. मधुमेह
2. अश्र
3. संधिवात—आमवात
4. रक्ताल्पता
5. उच्च रक्तचाप

संचारी रोग

1. मलेरिया
2. डेंगू
3. फ्लू

विभागीय मानक सेवाएं

1.1 आयुष महाविद्यालयीन चिकित्सालय की मानक सेवायें :-

क्र.	मानक सेवाएं	जिम्मेदार अधिकारी
1	सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण	प्रधानाचार्य
2	पैथोलॉजिकल टेस्ट	प्रधानाचार्य
3	एक्सरे जॉच	प्रधानाचार्य
4	विद्यालयीन विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण	प्रधानाचार्य
5	योग परामर्श	प्रधानाचार्य
6	प्रकृति परीक्षण	प्रधानाचार्य
7	बाह्य रोगी सेवा (जॉच एवं उपचार)	प्रधानाचार्य
8	अंतरंग रोगी सेवा	प्रधानाचार्य
9	पंचकर्म	प्रधानाचार्य
10	लघु शल्य कर्म	प्रधानाचार्य
11	क्षारसूत्र	प्रधानाचार्य
12	जलौकावचरण	प्रधानाचार्य
13	प्रसव पूर्व परीक्षा एवं देखरेख	प्रधानाचार्य
14	प्रसव	प्रधानाचार्य
15	प्रसवोपरान्त परीक्षण एवं देखरेख	प्रधानाचार्य
16	निःशुल्क औषधि वितरण	प्रधानाचार्य
17	नेत्र रोगियों की जॉच एवं उपचार	प्रधानाचार्य
18	यूनानी रेजीमेनल थैरेपी से उपचार	जिला आयुष अधिकारी





1.2 जिला आयुष चिकित्सालय/आयुष विंग की मानक सेवाएं –

क्र.	मानक सेवाएं	जिम्मेदार अधिकारी
1	सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श	आर.एम.ओ./चिकित्सक
2	बाह्य रोगी सेवा (जौँच एवं उपचार)	
3	अंतरंग रोगी सेवा	
4	निःशुल्क औषधि वितरण	

1.3 आयुष औषधालयों/आयुष क्लीनिक्स की मानक सेवाएं –

क्र.	मानक सेवाएं	जिम्मेदार अधिकारी
1	सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श	प्रभारी चिकित्सक
2	बाह्य रोगी सेवा (जौँच एवं उपचार)	
3	अंतरंग रोगी सेवा –	
4	निःशुल्क औषधि वितरण	

लोक सेवा गारंटी :-

मध्यप्रदेश लोक सेवकों के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत आयुष विभाग की सेवाएं निम्न हैं:-

सेवा क्रमांक	सेवा का नाम	सेवा प्रदान करने की समय—सीमा
01.	आयुष चिकित्सकों का पंजीयन	90 कार्य दिवस
02.	आयुष चिकित्सकों का प्रोविजनल पंजीयन	90 कार्य दिवस
03.	अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिये एन.ओ.सी.	30 कार्य दिवस
04.	आयुर्वेद औषधि निर्माण लाइसेंस जारी करना	30 कार्य दिवस
05.	होम्योपैथी औषधि निर्माण लाइसेंस जारी करना	30 कार्य दिवस





विभागीय जांच प्रकरणों एवं विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी

विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी

श्रेणी	वर्ष 2019 के लंबित प्रकरण	वर्ष 2020 के लंबित प्रकरण	योग	31.12.20 तक निराकृत प्रकरण
प्रथम	01	01	02	00
द्वितीय	—	02	02	00
तृतीय	04	03	07	01
चतुर्थ	03	—	03	00
महायोग—	08	06	14	01

विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी :—

क्र.	लंबित प्रकरणों की जानकारी 31.12.2020 की स्थिति में	संख्या
1.	लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या	481
2.	जवाब प्रस्तुति की स्थिति – प्रस्तुत	373
3.	जवाब प्रस्तुति की स्थिति – प्रत्यावर्तन के लिये शेष	97
4.	प्रकरणों की संख्या जिसमें न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना है।	12
5.	प्रकरणों की संख्या जिनमें एस.एल.पी. प्रस्तुत की गई	00
6.	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें अवमानना का नोटिस हो या अवमानना का प्रकरण लंबित हो	41

नोट:— 02 प्रकरणों में अपील दायर की गई है।



वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी
मौग संख्या – 38 – 2210 आयुष विभाग (राशि हजारों में)

क्र	योजना	बजट प्रावधान 2018–19	व्यय दिनांक 31.03.2019	बजट प्रावधान 2019–20	व्यय 31.03. 2020	बजट प्रावधान 2020–21	व्यय दिनांक 31.12.2020 तक
1	6105 – पेशनर्स को दवाईयों की सुविधा	10800	8814	7710	5638	7280	3334
2	6737 – ग्रीनकार्ड धारी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	600	513	280	272	—	—
3	0460 – आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषध गालय	2134833	2070577	2301157	2224827	2416960	1785611
4	0461 – आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	183547	169065	183876	176103	194771	136960
5	1220 – स्व. पं. उद्घव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुस्तकार सनल प्लाट मिशन सहित	200	00	164	00	480	00
6	1277 –राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडि.	551000	450546	1063800	945991	136000	98794
7	4194 – शासकीय आयुर्वेद फार्मसी एवं डिपो	59316	52622	63657	38237	50724	29775
8	4286 – संचालक आयुर्वेद प्रशासन	92858	62945	98144	68666	80966	53155
9	5559 – हुग कन्ट्रोलर (आयुष) कार्यालय	6016	4757	7160	4589	7417	5315
10	5560 – महिला स्वा. कार्य. प्रशि. केन्द्र	2870	2617	3094	3007	3354	2491
11	6638 – ऐलोपेथी चिकित्सालय में आयुष विंग	56555	54037	63075	57629	63404	46128
12	6639 – नवीन आयुष औष. की रथापना	115060	108268	46846	43771	00	00
13	7762 – रोग नियंत्रण कार्यक्रम	10002	9933	7276	5092	5281	2242
14	7892 – चिकित्सा गारंटी योजना	5000	4044	3346	1211	3200	1099

क्र	योजना	बजट प्रावधान 2018–19	व्यय दिनांक 31.03.2019	बजट प्रावधान 2019–20	व्यय 2020 2020–21	बजट प्रावधान 2020–21	व्यय दिनांक 31.12.2020 तक
15	4810 – होम्योपैथी औषधालय	301293	282322	373318	336082	372202	294570
16	3613 – शासकीय यूनानी फार्मसी	27183	25648	24925	21344	28859	14989
17	4760 – यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	74460	67902	96436	78861	92597	68839
18	8564 – शासकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय	90132	83527	106307	94314	105727	68746
19	0465 – आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना	14904	14155	6632	6135	00	00
20	9361 – आयुर्वेद औषधालय की स्थापना	25000	23502	8000	7689	00	00
21	0469 – शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय	582817	550011	659372	629031	719583	508542
22	5674 – निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना	2070	1366	1455	1123	1440	417
23	6736 – आयुष महा. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	19760	18150	8798	8199	00	00
24	6204 – अशासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों को अनुदान	1080	324	480	00	00	00
25	8068 – शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय	142272	133643	162795	158338	176039	126943
	योग (राजस्व)	4509628	4199288	5298103	4916149	4466284	3247950



वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी
पूँजीगत व्यय

क्र	योजना	बजट प्रावधान 2018–19	व्यय 31.03.2019	बजट प्रावधान 2019–20	व्यय 31.03.2020	बजट प्रावधान 2020–21	व्यय दिनांक 31.12.2020 तक
1	461 आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	60000	58016	60000	59999	48000	48000
2	9361 आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना	57000	56364	22800	21547	00	00
3	0469 आयुर्वेद महाविद्यालय	75000	53000	80000	74488	60000	56000
4	0465 आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना	40000	40000	16000	15999	00	00
5	0460 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	00	00	53200	32346	47600	47600
	योग (पूँजीगत)	232000	207380	232000	204379	155600	151600
	महा योग (राजस्व एवं पूँजीगत)	4741628	44066668	5530103	5120528	4621884	3399583



परिशिष्ट “घ”

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों एवं
फार्मासिस्टों की जिलेवार स्थिति**

क्र.	जिले का नाम	आयुर्वेद		होम्योपैथी		यूनानी		कुल चिकित्सक	कुल फार्मा.	कुल योग चिकित्सक / फार्मा.
		डॉक्टर	फार्मा.	डॉक्टर	फार्मा.	डॉक्टर	फार्मा.			
1	रीवा	9	7	3	1			12	8	20
2	सिंगरौली							0	0	0
3	सीधी	1	1	1	1			2	2	4
4	सतना	9	3	4	2	1		14	5	19
5	उमरिया			1	1			1	1	2
6	डिण्डोरी	2	1	2				4	1	5
7	शहडोल	1	1		1			1	2	3
8	अनुपपुर	1		2				3	0	3
9	जबलपुर	5	2	11		1		17	2	19
10	कटनी		1	4	1			4	2	6
11	छिन्दवाड़ा	3		11	2			14	2	16
12	सिवनी	7	1	3				10	1	11
13	मण्डला	1	1	4	2			5	3	8
14	बालाघाट	5	6	13	7			18	13	31
15	नरसिंहपुर	1	1	1				2	1	3
16	सागर	6		6				12	0	12
17	दमोह	2	1	2				4	1	5
18	पन्ना	2	1					2	1	3
19	छतरपुर	3		5	3			8	3	11
20	टीकमगढ़	8	5	4	3			12	8	20
21	ग्वालियर	5	1	10	2			15	3	18
22	शिवपुरी	3	1	2				5	1	6
23	गुना	3	2	2				5	2	7
24	अशोकनगर	2						2	0	2
25	दतिया	4	2	1				5	2	7
26	श्योपुर	1	1					1	1	2
27	मुरैना	10	4	1	1			11	5	16
28	भिण्ड	2		2	2			4	2	6
29	इन्दौर	6	1	19	1	2		27	2	29





30	धार	6	7	5				11	7	18
31	अलीराजपुर	2		2	1			4	1	5
32	झाबुआ	2	1	4	1			6	2	8
33	खरगोन	6	6	2				8	6	14
34	बड़वानी	3	1	4	1	1		8	2	10
35	खण्डवा	2	1	1		3		6	1	7
36	बुरहानपुर	1	1	1		6		8	1	9
37	उज्जैन	1		7	1			8	1	9
38	शाजापुर	1		3				4	0	4
39	मंदसौर	1		1				2	0	2
40	रतलाम	1	1	1	2			2	3	5
41	देवास	2		3	1	2		7	1	8
42	नीमच	1	1					1	1	2
43	आगर मालवा			1				1	0	1
44	भोपाल	6	2	5	5	3	1	14	8	22
45	सीहोर	5		10	5	2		17	5	22
46	रायसेन	6	1	6	1	4		16	2	18
47	राजगढ़	4	2	2	4	2		8	6	14
48	विदिशा	4		4	3	7		15	3	18
49	बैतूल	8	1	4	2			12	3	15
50	होशंगाबाद	5		7	2	1		13	2	15
51	हरदा	2		2	2			4	2	6
कुल		171	69	189	61	35	1	395	131	526

